कार्यालय
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: परिषद/सचिव सम्बद्धता/2020/1611   लखनऊ दिनांक 15-9-2020

कार्यालय ज्ञाप-

[illegible]

[illegible]

"विगत वर्ष में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं संस्थाओं को पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]
सचिव

पृष्ठांकन: परिषद/सचिव सम्बद्धता/2020/ [illegible]   तद् दिनांक [illegible]

[illegible]

[illegible]
सचिव

अनुलग्नक.

प्रविष्ट, प्राविधिक शिक्षा परिषद्.

2021 प्रवेश सत्रहेतु

संख्याः- प्राविपरिषद् सम्बद्धता/2021/3137 **संख्याः दिनांकः 09/08/2021**

:: सम्बद्धता शर्तः::

प्राविधिक शैक्षणिक संस्थाओं (राज्य विश्वविद्यालय द्वारा पृथक्करण) अधिनियम, 2000 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 2000) की धारा 5 के अन्तर्गत गठित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बद्धता विनियमावली 2008 के विनियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स **एम्.आई.ई.टी.एजुकेशनल सोसायटी** द्वारा संचालित **1039-AMARDEEP COLLEGE OF PHARMACY JALESAR ROAD,FIROZABAD-283203** को निम्नलिखित पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विनियमावली 2008 के विनियम 6 के अन्तर्गत सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	एम.आई.ई.टी.एजुकेशनल सोसायटी द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एम.आई.ई.टी.एजुकेशनल सोसायटी द्वारा नियोजित की गयी सभी शर्तों का पूर्णरूप पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमावली 1982, डीम्ड/प्राइवेट विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्गमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियोजन अधिकारी द्वारा नियोजित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रू0 301150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही छात्रों/छात्राओं से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश मान्य होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा। फीस नियोजन अधिकारी द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की अधिकतम दरें मान्य होंगी।
- ✓ संस्था को उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम तथा इस अधिनियम, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2008 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में अनुमन्य प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में प्रथम प्रवेश सत्रान्त के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एम.आई.ई.टी.एजुकेशनल सोसायटी द्वारा की जानकारी कर हेतु अनुमोदित पत्रावली किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था प्रथम प्रवेश सत्रान्त द्वारा समय समय पर विनियमावली/अधिनियमावली/शासनादेशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, अनुमन्य प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्रयागराज तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा समय समय निर्गत विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ नियोजन इस फार्मेसी पाठ्यक्रम की सम्बद्धता यदि भी दी गई हो) यदि देखा है अनुमोदित पाया जाने की अवस्था में सम्बद्धता उपलब्धाधिकार समाप्त का होगा और वित्तीय वर्ष के किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, अनुमन्य प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रथम प्रवेश सत्रान्त को कोई शुल्क देय किया जाता है तथा देयता शुल्क के सम्बन्ध में बाद, न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की परिपूर्ति संस्थाये अदेय निर्णय किया जाता है तो समस्त परिपूर्ति सम्बन्धित संस्था की होगी होगी।
- ✓ नियोजन इस फार्मेसी पाठ्यक्रम प्रचालित करने वाली संस्थाओं को अनुमन्य प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्रथम प्रवेश सत्रान्त द्वारा छात्रों/छात्राओं के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउंसिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी0आई0आई0 से अनुमोदित प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उनके प्रवेश की (काउंसिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रथम प्रवेश सत्रान्त द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत समितिवार आवंटन नियमों का अनुपालन कराना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की सम्बद्धता सूचनाएं जैसे संस्था की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, छात्र-छात्रा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विकास-परिवेशन हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के क्रम में प्रवेश रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में वर्तमानित अनुमोदित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्धन में प्रयोग किया जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यकताओं एम.आई.ई.टी.एजुकेशनल सोसायटी/एम.आई.ई.टी.परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

सत्यमेव जयते

बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

क्रमांक:- प्रवेश/परीक्षा/ सम्बद्धता/2023/पालिटे/ 3

दिनांक: 30/06/2023

आदेशात्मक प्रपत्र

प्रवेश परीक्षा नियमावली शिक्षा परिषद्, अधि दिनांक/संशोधित नियमावली/प्रवेश पुस्तिका, अधि दिनांक तथा शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु विभिन्न सम्बद्ध संस्थाओं/संस्थानों को अनुमोदित सीटों पर उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, देहरादून अधिनियम के अन्तर्गत/उत्तराखण्ड विनियमन अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्रवेश हेतु दिनांक: 30/06/2023 को परिषद् कार्यालय में आयोजित प्रवेश समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु प्रवेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता शुर्ते में सम्बद्धता विद्यालय/ महाविद्यालय/ प्रवेश संस्थान सूची समिति द्वारा संस्था स्थित सीटों पर सत्र 2023-24 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार सहित प्रवेश क्षमता का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निदेशक सम्बद्धता एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद्, देहरादून द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेशित महाविद्यालय एवं उसमें प्रवेशित संचालित होने वाले पाठ्यक्रम हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

संस्थान का कोड एवं नाम : 1639-AMARDEEP COLLEGE OF PHARMACY

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	राज्यानुदानित/पोलीटेक्निक/ पीपीपी/अनुदानित द्वारा सत्र 2023-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2023-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA in PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्थान राज्यानुदानित/पोलीटेक्निक/पीपीपी/अनुदानित द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्थान उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् नियमावली 1992, तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् नियमावली 2000, तत्पश्चात् नियमावली 2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुफ्त नियमन समिति द्वारा निर्धारित मुफ्त शिक्षा अवधि मुफ्तियों पाठ्यक्रमों हेतु रू0 50,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पार्टटाईम पाठ्यक्रम हेतु रू0 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं तथा तीन वर्ष की अवधि पाठ्यक्रमों हेतु तीन वर्षीय पार्टटाईम पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु रू0 25,000.00/- प्रतिवर्ष मुफ्त है। उपरोक्त छात्रावास में रहना चिकित्सा उपचारार्थ के अतिरिक्त छात्रावासों में मुफ्त के छात्रावास में छात्रों द्वारा रहना या व्यवस्था दूसरा निर्णय किये जाने वाला व्यवस्थापक व्यवस्थी होगी, और उपयुक्त व्यवस्थाओं किया जाना अनिवार्य होगा। वीडिया नियमन समिति द्वारा वर्ष सत्र 2023-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाना है। जो फीस की व्यवस्थापन दी जाए होगी।
- ✓ संस्थान में अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद् द्वारा आयोजित छात्रों का ही प्रवेश किया जायेगा।
- ✓ संस्थान को छात्र-छात्रा का विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार नियंत्रण एवं छात्रावास सुरक्षा अवश्य होगा।
- ✓ संस्थान अपने छात्र छात्राओं दूसरा विभिन्न विधि/नियमों/व्यवस्थाओं/शैक्षणिकों का विवरण, प्राविधिक शिक्षा, डाटा, अनुमोदन संबंध परीक्षा परिषद्, उत्तराखं तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद्, डाटा दूसरा अपने सभी वेबसाईट, ब्रोशर्स एवं विज्ञापनों का प्रकाशन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का संबद्धता/पोलीटेक्निक/पीपीपी/अनुदानित निरस्त किया जाता है तो मुफ्त प्रवेश में छात्रावास प्रावधानित संस्थान का होगा और प्रिंसिपल छात्र से किसी भी व्यवस्थाओं के लिये संस्थान उत्तरदायी होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, अनुमोदन संबंध परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रवेश संबंधन के विषय यदि कोई कार्य दायर किया जाता है तथा दूसरा पक्ष के संस्थान में का व्यवस्थापन दूसरा किसी प्रकार की परिणिति होगी अन्यथा प्रवेशित निरस्त किया जाता है तो संस्थान परिणिति प्राविधिक छात्रों को करनी होगी।
- ✓ संस्थान द्वारा को अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद्, छात्रावास प्रवेश व्यवस्थाओं दूसरा प्रावधिक कार्य प्रवेश हेतु प्राविधिक शासनादेशों/नियमों व्यवस्था दूसरा के पूर्व पालन/संशोधन/परिवर्तन/पोलीटेक्निक/पीपीपी/अनुदानित द्वारा का परिषद् व्यवस्थापन को अनुमोदन करवाया होगा। व्यवस्थापन अन्य प्रवेश की प्राविधिकियों के अनुसार के प्रवेश परीक्षा के आयोजन व्यवस्थित संचालन अनुमति व्यवस्था नहीं की जायेगी।
- ✓ छात्रावास प्रवेश व्यवस्था दूसरा प्रवेश हेतु संस्थान संबंधन या विभिन्न अधिकारियों व्यवस्थाओं विभागों का अनुपालन करवाना संस्थानाध्यक्ष होगा।
- ✓ संस्थान को अपने वेबसाईट पर संस्थान की संबंधन सूचनाओं जैसे संस्थान की परिषद्/शैक्षणिक सूचियां सूचियां, व्यवस्थाओं, छात्रावास विभाग डाटा संबंधन सूचना, व्यवस्थाओं सूचना आदि का विभिन्न प्रदर्शित करवाना होगा।
- ✓ संस्थान को विभाग-परिवेदन हेतु प्रत्युपयुक्त व्यवस्थाओं प्रदर्शित करने के क्रम दिनांक प्रवेशों के संबंधन में संस्थानों प्रवेशोपरान्त संस्थान सूचियां/विवरण करनी होगी।
- ✓ संस्थान यह सुनिश्चित करे कि संस्थान में छात्रावासियर प्रवेशित पाठ्यक्रम को संबंधन छात्र हेतु विभिन्न अधिकारी के संबंधन प्रवेशित करने वाले अधिकारी, सूचियां संबंधन, प्राविधिक, उपलब्धन सुविधाएं का यदि होगा दूसरा किसी प्रकार पाठ्यक्रम के संचालन में प्रवेशित किया जाता है और परिषद् को सूचनी संबंधनी होगी है कि संस्थान प्रवेशित का पालन किसी प्रकार करने के लिए बाध्य नहीं है तो प्रवेशित संस्थान की संबंधन/छात्रावास किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्थान के प्रवेशित संबंधित विद्यालय के संचालन यदि संस्थान में सूचियां, संबंधन, प्रवेशोपरान्त, संचालन एवं अन्य छात्र संबंधन संबंधित पोलीटेक्निक/पीपीपी/अनुदानित के संबंधनानुसार दूसरा नहीं पाया जाता है तो संस्थान की संबंधन/छात्रावास रद्द दी जायेगी।
- ✓ संबंधन/छात्रावास संबंधी का अनुपालन न किये जाने अथवा संबंधी का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सचिव/अध्यक्ष)

सचिव

सूचनार्थ- प्रवेश/परीक्षा/ सम्बद्धता/2023/पालिटे/3-3/64 दिनांक: 30/06/2023

प्रतिलिपि:-

संस्थान/पोलिटेक्निक AMARDEEP COLLEGE OF PHARMACY

(प्रधानाचार्य/ प्रभारी)

सचिव